5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(26)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

नि0 – 2299 – PBR – 16

1. प्रेमाबाई पति सत्यनारायण जाति खाती उम्र 55 वर्ष
2. कृष्णा पिता शिवनारायण जाति खाती उम्र 40 वर्ष
3. पवन पिता सत्यनारायण जाति खाती उम्र 35 वर्ष
4. गवराबाई बेवा जगन्नाथ जाति खाती उम्र 75 वर्ष
5. मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति खाती उम्र 50 वर्ष

   सभी निवासी ग्राम बगडी तह0 व जिला धार
6. मंजुबाई पिता सत्यनारायण पति बुरखीलाल जाति खाती उम्र 30 निवासी पिवडाय जिला इंदौर
7. नानीबाई पिता सत्यनारायण पति जगदीशचंद्र उम्र 28 वर्ष निवासी कठोडिया तह0 व जिला धार ....निगरानीकर्ता

द्वारा आज दि. 11.7.16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. गीताबाई बेवा बद्रीलाल जाति खाती उम्र 70 वर्ष
2. महेश पिता बद्रीलाल जाति खाती उम्र 50 वर्ष
3. मुकुट पिता बद्रीलाल जाति खाती उम्र 40 वर्ष
4. बंशी पिता बद्रीलाल जाति खाती उम्र 38 वर्ष
5. रामकलाबाई पति दिनेश जाति खाती उम्र 40 वर्ष

   सभी निवासी ग्राम बगडी तह0 व जिला धार
6. धमेन्द्र पिता दिनेश जाति खाती उम्र 20 वर्ष
7. कमलाप्रसाद पिता काशीराम जाति खाती उम्र 65 वर्ष
8. रेशमबाई पिता काशीराम पति रणछोड जाति खाती

   क्र. 6 से 8 निवासी ग्राम अटावदा तह0 देपालपुर जिला इंदौर

..........................विपक्षीगण

11/7/16

निगरानी अर्ज धांरा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंता विनम्रता से अर्ज है कि हमारे द्वारा जो उज्रात पेश किये थे जवाब में उसे देखते हुए मामले में स्वत्व का प्रश्न विद्यमान है जो दस्तावेज उज्र के बारे में एक अर्ज दी थी कि मूल प्रकरण के प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को देखते हुए जो इस निगरानी के विपक्षी है पोषणनीय नही है ऐसी दशा में

वह हमारे द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि जयराम अकेले का नाम है ऐसी दशा में उसे हक नही है वे अभिलिखित नही है। उनकी अर्जी विधिक नही है। यह अर्ज हमने दिनांक 10.12.2015 को पेश की है। क्लीस्ट क्वेश्चन आफ लाफ एवं फैक्ट होने से व चरण 4 में उज्र उठायें उसे देखते हुए वर्तमान प्रकरण विपक्षीगण का पोषणनीय नही था विचार योग्य नही था। अतः ऐसी दशा में वर्तमान प्रकरण यह कानूनी बिंदू है उसका निराकरण प्रथम किया जावे इस बाबद हमने निवेदन किया ऐसी दशा में हमारे निवेदन के प्रकाश में हमारे अर्ज का निराकरण करना था। ऐसा न कर न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय नालछा ने अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 46/2014–15/अ–27 में हमारे उज्रात को व उठाये कानूनी प्रश्न को हां अथवा ना में अभिनिर्धारण न करते हुए अथवा कानून के मेंडेंटरी प्रोवीजन मुजब स्थगित नही करते हुए मेरे उज्र अर्ज का निराकरण न करते हुए मुग्गम व अस्पष्ट आज्ञा से उसे लंबित रख लिया जबकि उनकी आदेश पत्रिका दिनांक 03.05.2016 में वे तत्संबंधी आज्ञा क्योंकर दे रहे है। वे मेरी आपत्ति का क्योंकर निराकरण नही कर रहे है। इस बाबद भी कोई स्पष्ट उल्लेख उनकी ओर से नही है ऐसी दशा में मुग्गम आज्ञा नायब तहसीलदार महोदय नालछा की ग्राम लुन्हेरा तहसील व जिला धार में टप्पा नालछा ने दी जो इररेगुलर इललिगल है अनिश्चितता लिए हुए है विधिक नही है। नकल 01.07.2016 को दी अतः नकल के दिन मुजरा जाते यह निगरानी अर्ज अंदर अवधि निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :–

:: आधार निगरानी ::

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2299–पीबीआर/16 **जिला** धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 3–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । नायब तहसीलदार के उक्त निगरानीधीन आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर इस निगरानी में विचार किया जा सके । अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	